Email : dfoagra@gmail.com
Ph. No/Fax-. 0562-2331297

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा।

पत्रांक 2391 /22—1 दिनांकः आगराः 10—11— ~~अक्टूबर~~, 2020

सेवा में,

उप परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
सेतु निर्माण इकाई निकट भावना टावर
रेल उपरिगामी सेतु—502, गुरू का ताल—हरी पर्वत मार्ग आगरा।

U.P. State Bridge Corpn. Ltd. B.C.U., Agra Date: 24 11.11.20

विषयः— जनपद आगरा में एन0एच0—2 से एन0एच0—3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह—बयाना रेल सेक्सन के रेलवे कि0मी0 73/7—8 पर स्थित सम्पार सं0—68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु के संरेखण में आ रहे वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक—1219/67बी0आर0/एसबीसी/आगरा/2020—21 दि0—16.9.2020
इस कार्यालय का पत्रांक—1420/22—1 दि0—18.9.2020, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाईपुर का पत्रांक—125/22—1 दिनांक—05.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में इस कार्यालय की पत्र सं0—1420/22—1 दि0—18.9.2020 द्वारा विषयगत प्रकरण की स्थलीय संयुक्त जॉच आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि के साथ कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी थी। परन्तु उक्त स्थलीय संयुक्त जॉच रिपोर्ट पर आपके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाईपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार आगरा फतेहपुर सीकरी मार्ग के दोनों पटरियों पर स्थित कि0मी0 9 पर **03 वृक्ष** यूकेलिप्टस एवं टर्मिनल डिस्ट्रीव्यूटी आगरा नहर मील 11 बॉयी पटरी एन0एच0—2 से एन0एच0—3 के सम्पर्क मार्ग पर कि0मी0 8 पर स्थित **05 वृक्षशीशम, 01 वृक्ष ज्यूलीफ्लोरा** एवं कि0मी0 9 पर स्थित **02 वृक्ष कंजी, 02 वृक्ष शहतूत, 01वृक्ष नीम, 01 वृक्ष लिसोढ़ा** कुल **15 वृक्ष** परिगामी सेतु निर्माण में बाधक है। कुल जिनका स्वामित्व वन विभाग का है। जिसमें 730 वर्ग मीटर भूमि प्रभावित होगी। उक्त निर्माण कार्य में अर्थात् 0.073 हे0 वनभूमि प्रभावित होगी। यहॉ पर यह भी सूचित करना है, कि उक्त क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जैड0) क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षों की पातन की पूर्व अनुमति मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।

अतः आप टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त कार्य में बाधक समस्त वृक्षों (वन भूमि, गैर वानिकी राजकीय भूमि/निजी भूमि कहीं भी स्थित हो) के पातन हेतु रिट पिटीशन (सि0) संख्या—13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में आई0ए0 दायर कर मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करें तथा संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन कर वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक— / समदिनांकित।

प्रतिलिपि—क्षेत्रीय वन अधिकारी, बॉईपुर को पत्रांक—125/22—1 दि0—05.11.2020 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मानचित्रकार शाखा प्रभारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा को संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक/प्रभारी प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/revenue/letter-17

(Anoop M.L. Sharma)
Junior Engineer
B.C.U., Agra